ई–मेल / महत्वपूर्ण / समयबद्ध।

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–1165 / 4–33ए / 2013, दिनांकः 11 मार्च, 2019

विषय– पूरे सेवाकाल में केवल एक बार लेखपालों के निजी अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण गृह मण्डल के किसी भी जनपद (गृह जनपद को छोड़कर) में किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या–सी–1468 / 4–33ए / 2013, दिनांक 07 सितम्बर 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–1595 / एक–9– 2018–9(रा) / 2018, दिनांक 23–8–18 के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णय से अवगत कराया गया था –

" लेखपालों का कैडर पूर्व की भांति मण्डल स्तरीय ही रखते हुये उनके पूरे सेवाकाल में केवल एक बार उनके निजी अनुरोध पर उनके गृह मण्डल के किसी भी जनपद में (गृह जनपद को छोड़कर) स्थानान्तरण रिक्तियों के संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये परिषद स्तर से किया जाय।"

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1595 / एक –9–2018–9(रा) / 2018, दिनांक 23–8–18 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्थानान्तरण का प्रारूप परिषद की वेबसाईट पर निम्नवत अपलोड किया गया है।

प्रारूप (1) –: **(जिलाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)**

क्रमांक	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

प्रारूप (2) –:
(लेखपाल द्वारा भरा जायेगा)

1–लेखपाल का नाम–
2– पिता का नाम–
3– जन्म तिथि–
4– मोबाईल नम्बर–
5– गृह जनपद–
6– पूर्ण पता–
7– पिन कोड संख्या–
8– वर्तमान नियुक्ति का जनपद
9– वर्तमान नियुक्ति की तहसील
10–वर्तमान नियुक्ति का मण्डल
11–वांछित नियुक्ति का जनपद
12–वांछित नियुक्ति का मण्डल

Scanned by CamScanner

13–लेखपाल के पद पर मौलिक नियुक्ति तिथि–:
14–नियुक्ति आदेश संख्या–:
15–स्थायीकरण तिथि –:
16–लेखपाल के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही –: 1–अभियोजन 2–सतर्कता जाँच 3–अनुशासनिक कार्यवाही 4– अन्य
17–संबंधित लेखपाल के नियुक्ति का प्रकार –: 1–मा0 न्यायालय के आदेश या अन्य से ।
2–पूर्व अनुभव के आधार पर।
3–सीधी भर्ती के माध्यम से।
4– प्रोन्नति के द्वारा।
5– मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त।

आनलाईन स्थानान्तरण की प्रकिया –:

1– स्थानान्तरण का कोई भी प्रार्थना पत्र सीधे परिषद में ग्राह्य नहीं होगा। सभी लेखपालों को यह सूचित कर दिया जाय कि अपने स्थानान्तरण के संबंध में सीधे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसे अनुशासनहीनता का द्योतक माना जायेगा और उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की जायेगी। लेखपाल के संबंधी या परिवार के सदस्यों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2– लेखपालों के स्थानान्तरण हेतु स्थाई लेखपाल का प्रार्थना पत्र ही ग्राह्य होगा।

3– लेखपाल परिषद की वेबसाईट पर दिनांक 31 मार्च 2019 तक आवेदन कर सकेंगे, उक्त लेखपाल आनलाईन किये गये आवेदन में पूर्व में आवंटित कमांक द्वारा ही दिनांक 31 मार्च 2019 तक संशोधन या इसे वापस ले सकेंगें।

4– संबंधित लेखपाल स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण हेतु एक बार ही आन लाईन आवेदन कर सकेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासनादेश संख्या–'1595/एक–9– 2018–9(रा)/2018, दिनांक 23–8–18 के परिप्रेक्ष्य मे परिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से अवगत होते हुये आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराने का कष्ट करे।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता),
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –:

1– अपर मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग–9, उ0प्र0शासन, लखनऊ को उनके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 23–8–18 के संदर्भ में।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राजस्व परिषद,उ0प्र0,लखनऊ।

(गरिमा स्वरूप)
सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

Scanned by CamScanner